Whereas one Shri Satish Kumar S/o Sh. Hari Singh filed an election petition No. 47/2007 in the Court of District Judge, Delhi against the election of Sh. Vikas S/o Shri Kishan to Ward No. 78 of Municipal Corporation of Delhi.

And whereas vide order dated 4-6-2008 the Hon'ble Court of Additional District Judge, Delhi declared the election of Vikas as null and void as per the provisions of section 17(1) (d) (i) of the DMC Act and also declared the election petitioner Sh. Satish Kumar as elected Councillor to Ward No. 78, Majnu-ka-Tila in terms of provisions of Section 19(1)(c) of DMC Act.

Therefore, the Gazette Notification No. SEC/LAW/F. 11(15)/2007/693, dated 7th April, 2007 is partially modified and the relevant entry at page 13 of the said notification be read as

"W. No. 78, Majnu-ka-Tila, Scheduled Caste, Satish Kumar".

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital
Territory of Delhi
O. P. KELKAR, Commissioner

उच्च शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जून, 2008

सं. फा. डीएचई. 6(130)/2008-09/862.—भारतरत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 44 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलाधिपति के रूप में प्रो. श्याम बी मेनन को भारतरत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रो. श्याम बी. मेनन की उक्त विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्ति उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 25th June, 2008

No. DHE. 6(130)/2008-09/862.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 44 of the Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007 (Delhi Act 9 of 2007), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi as the Chancellor of the Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar Vishwavidyalaya, Delhi is pleased to appoint Prof. Shyam B. Menon as the first Vice Chancellor of the Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar Vishwavidyalaya, Delhi.

The appointment of Prof. Shyam B. Menon as the first Vice Chancellor of the said Vishwavidyalaya shall take effect from the date he assumes charge of his office.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital
Territory of Delh,
Dr. G. NARENDRA KUMAR, Secy.

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जून, 2008

फा. सं. 12/03/2008/प्र.सु. 5549-5553/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. जो दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ, के पैराग्राफ 2 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्रीमती मीनाक्षी दत्ता घोष, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को जन शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्हें 26000/- रु. प्रति माह की दर से नियत वेतन का भुगतान उक्त संदर्भित संकल्प में निर्धारित शर्तों के अनुसार समय-समय पर ग्राह्य ऐसे भत्तों के साथ किया जाएगा।

श्रीमती मीनाक्षी दत्ता, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, जन शिकायत निवारण आयोग के रूप में कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बनी रहेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
राकेश मोहन, प्रधान सचिव

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th June, 2008

No. F. 12/03/2008/AR/5549-5553/C.—In pursuance of Clause 2 of Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 25-9-1997 of the Government of National Capital Territory of Delhi, as amended *vide* Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 30-7-1998, the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Smt. Meenakshi Datta Ghosh, IAS (Retd.) as Chairman, Public Grievance Commission, Government of National Capital Territory of Delhi. She will be paid a fixed salary of Rs. 26,000 per month plus admissible allowances, subject to terms and conditions as stipulated in the above referred Resolution as amended from time to time.

Smt. Meenakshi Datta Ghosh shall hold office for a term of two years from the date of taking over charge as Chairperson, Public Grievances Commission.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital
Territory of Delhi

RAKESH MOHAN, Pr. Secy.

गृह पुलिस-2 विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जून, 2008

सं. फा. 18/6/99-गृह पु. 2/5464.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 7 जनवरी, 1961 की अधिसूचना संख्या 2/18/60-न्याय-II (एसओ 82) तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 जुलाई, 1952 की अधिसूचना सं. 20/14/52-एफ-II के साथ पठित सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल ऐसे अधिक्रमण से पहले किये गये और हटाये गए यथासंबंधित बातों के अलावा सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 2002 का अधिक्रमण करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-1

परिचय

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों को दिल्ली सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषायें** :—(1) विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल रहने तक इन नियमों में,

(क) "अधिनियम" का अर्थ है सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37);

(ख) "रद्दोबदल" का अर्थ है स्वीकृत प्लान में परिवर्तन या प्रयुक्त बिल्डिंग या लाइसेंस स्थल के ढांचे में परिवर्तन तथा सभा भवन में प्रवेश द्वार या निकास में परिवर्तन या उपस्कर या उपकरण या सीटों को बढ़ाना या घटाना शामिल हो।

(ग) "ऑडिटोरियम" का अर्थ कोई ढका या खुला अहाता, जहां पर लोग मंच या पर्दे पर प्रदर्शित किसी प्रदर्शन को देखने के लिये इकट्ठे हो सकते हैं।

(घ) "बिल्डिंग प्राधिकारी" का अर्थ है वह सक्षम प्राधिकारी जो दिल्ली में सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शनी के लिये दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) तथा बिल्डिंग के निर्माण हेतु संबंधित बिल्डिंग नियमों के प्रावधानों के अनुरूप बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति दे।

(ङ) "मुख्य अग्नि शमन अधिकारी" का अर्थ दिल्ली अग्नि शमन सेवा और अग्नि संरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 56) में परिभाषित "मुख्य अग्निशमन अधिकारी"।

(च) "दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है :